**प्रकाशन हेतु अनुमोदित**

**छत्तीसगढ़ उच्च  न्यायालय बिलासपुर**

---

**<u>युगल पीठ :    माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा एवं</u>**

**<u>माननीय श्री राधे श्याम शर्मा न्यायाधीशगण</u>**

---

**<u>दाण्डिक अपील क्रमांक 487/2012</u>**

**अपीलार्थी** : सुभान अली पिता स्व. महबूब अली, उम्र लगभग 45 वर्ष, निवासी इंदिरा कॉलोनी तारबाहर, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

**<u>विरूद्ध</u>**

**प्रत्यर्थी** : छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा थाना प्रभारी, पुलिस थाना मस्तुरी, जिला बिलासपुर (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

**<u>दाण्डिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दण्ड प्रक्रिया संहिता</u>**

---

**<u>उपस्थितः-</u>** श्री डी. के. विश्वकर्मा, अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता।

श्री एन. के. मेहता, राज्य की ओर से पैनल अधिवक्ता।

---

**<u>निर्णय</u>**

**(06.8.2012)**

**<u>सुनील कुमार सिन्हा न्यायाधीश</u>** द्वारा न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया:-

(1) यह अपील तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 161/2011 में पारित निर्णय दिनांक 10 मई 2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। आक्षेपित निर्णय के द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत

दोषसिद्ध किया गया है तथा उसे आजीवन कारावास और रु. 1000/- के जुर्माने से दण्डित किया गया है। जुर्माना न चुकाने की स्थिति में अतिरिक्त 2 माह का कारावास भुगतना होगा।

(2) संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं—

मृतिका कमला बाई, उसके पति रामचंद्र(अ.सा.-1) तथा रीना बाई (अ.सा.-2) रेलवे स्टेशन जयरामनगर के पास एक झोपड़ी में साथ रहते थे। दिनांक 29.07.2011 को लगभग दोपहर 2:30 बजे मृतिका को 87% जलने की चोटें आई। उसके पति द्वारा उसे मस्तूरी अस्पताल ले जाया गया, परंतु उसे सिम्स अस्पताल बिलासपुर ले जाने की सलाह दी गई। तत्पश्चात उसे सिम्स बिलासपुर ले जाया गया, जहाँ उसे भर्ती कर उपचार किया गया। उपचार के दौरान ही दिनांक 31.07.2011 को प्रातः 6:30 बजे उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन का मामला यह है कि मृतिका का अपीलार्थी के साथ अवैध संबंध थे। घटना के दिन अपीलार्थी उसके घर में उपस्थित था। मृतिका का पति रामचंद्र (अ.सा.-1) बाजार गया हुआ था। मृतिका की पुत्री रीना बाई (अ.सा.-2) घर के पास खेल रही थी। उसने घर के अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनी, जब वह अंदर गई तो उसने देखा कि उसकी मां जल रही थी और अपीलार्थी वहां मौजूद था। उसने यह घटना अपने पिता रामचंद्र(अ.सा.-1) को बताई। तब तक अपीलार्थी मृतिका को रेलवे स्टेशन ले गया था। वहां मृतिका के पति ने उससे मुलाकात की और घटना के बारे में पूछा, जिस पर मृतिका ने मौखिक मृत्युकालिक कथन किया कि अपीलार्थी उसे अपने साथ ले जाना चाहता था और जब उसने मना किया, तो उसने उसके शरीर पर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दी। उक्त मौखिक मृत्युकालिक कथन को रीना बाई (अ.सा.-2) ने भी सुना था। अभियोजन का आगे का मामला यह है कि जब मृतिका को रेलवे स्टेशन ले जाया जा रहा था, तब अपीलार्थी उसके साथ था तथा पड़ोस के दो व्यक्ति भी उसके साथ थे। मृतिका के संबंध में— सेवकराम साहू (अ.सा.-6) एवं दुर्गा बाई (अ.सा.-7) ने यह सुना कि मृतिका चिल्ला रही थी कि अपीलार्थी ने उसे आग लगा दी है।

यद्यपि मृतिका दो दिन से अधिक समय तक जीवित रही, तथापि उसका लिखित मृत्युकालिक कथन दर्ज नहीं किया गया तथा अभियोजन का मामला पति एवं पुत्री के समक्ष

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन तथा अस्पताल ले जाते समय मृतिका द्वारा चिल्लाने की परिस्थिति, जिसे दो पड़ोसियों ने सुना, पर आधारित था, जिसे भी मृतिका का मौखिक मृत्युकालिक कथन माना गया। मृतिका के पति एवं पुत्री पक्षद्रोही हो गए और माननीय सत्र न्यायाधीश ने उनके साक्ष्यों पर विश्वास नहीं किया तथा उनके समक्ष दिए गए मौखिक मृत्युकालिक कथन को सिद्ध नहीं माना। दोनों पड़ोसी अर्थात सेवकराम साहू (अ.सा.-6) एवं दुर्गा बाई (अ.सा.-7) भी पक्षद्रोही हो गए। अपने मुख्य परीक्षण में उन्होंने अभियोजन के मामले को पूर्णतः नकार दिया, किन्तु प्रतिपरीक्षण में उन्होंने अपने कथनों के कुछ अंश स्वीकार किए, जिनसे यह सिद्ध होता है कि मृतिका उपरोक्त प्रकार से चिल्ला रही थी। माननीय सत्र न्यायाधीश ने सेवकराम साहू (अ.सा.-6) एवं दुर्गा बाई (अ.सा.-7) के अभिकथनों पर भरोसा करते हुए यह निष्कर्ष दिया कि उन्होंने पुलिस के समक्ष धारा 161 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दिए गए अपने कथनों को स्वीकार किया है, जिसमें कहा गया था कि मृतिका चिल्ला रही थी कि उसे अपीलार्थी द्वारा जलाया गया है। अतः अपीलार्थी धारा 302 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडित किये जाने के लिये दायी है|

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(3) श्री डी.के. विश्वकर्मा, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि पुलिस गवाहों एवं चिकित्सक को छोड़कर लगभग सभी अन्य गवाह पक्षद्रोही हो गए हैं; मृतिका के पति एवं पुत्री भी पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया; मृतक के चिल्लाने की आवाज सुनने वाले दो गवाह भी पक्षद्रोही हो गए और उन्होंने भी अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया; ये गवाह पूर्णतः अविश्वसनीय हैं तथा इनके द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों, जिनमें अपीलार्थी को आरोपित किया गया है, के आधार पर की गई दोषसिद्धि न्यायोचित नहीं है।

(4) इसके विपरीत राज्य की ओर से उपस्थित पैनल अधिवक्ता श्री एन. के. मेहता ने इन तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

(5) हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(6) निःसंदेह इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में वे परिस्थितियाँ, जिनसे दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः स्थापित होनी चाहिए। स्थापित परिस्थितियाँ केवल अभियुक्त के दोषी होने की परिकल्पना के अनुरूप ही होनी चाहिए। अभियुक्त के विरुद्ध स्थापित परिस्थितियाँ निर्णायक प्रकृति की होनी चाहिए तथा ऐसी होनी चाहिए कि उनका कोई अन्य स्पष्टीकरण संभव न हो। साथ ही साक्ष्यों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला होनी चाहिए जो किसी भी युक्तिसंगत आधार को न छोड़े जिससे अभियुक्त की निर्दोषता के अनुरूप निष्कर्ष निकाला जा सके, और यह दर्शाना आवश्यक है कि सामान्य मानवीय संभावनाओं में उक्त कृत्य यह कार्य अभियुक्त द्वारा किया गया होना आवश्यक है। **(देखे धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 एससीसी 22; बोधी राज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य ए आई आर 2002 एससीसी 3164; तथा गोआ राज्य बनाम संजय ठाकरण एवं अन्य 2007(4) एसबीआर 3211)**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(7) वर्तमान प्रकरण में अभियोजन पक्ष ने दो मौखिक मृत्युकालिक कथनों की परिस्थितियाँ प्रस्तुत की हैं। पहला कथन रेलवे स्टेशन पर रामचन्द्र (अ.सा.-1) तथा रीना बाई (अ.सा.-2) के समक्ष किया गया बताया गया है। रामचन्द्र (अ.सा.-1) मृतिका के पति हैं तथा रीना बाई (अ.सा.-2) मृतिका की पुत्री है, जिसकी आयु लगभग 12 वर्ष थी। दोनों साक्षी पक्षद्रोही हो गए है तथा उन्होंने यह कथन नहीं किया कि मृतिका ने उनके समक्ष यह मौखिक मृत्युकालिक कथन किया था कि अपीलार्थी द्वारा उसे आग लगाई गई थी। रामचन्द्र (अ.सा.-1) घटना के समय उपस्थित नही थे। रीना बाई (अ.सा.-2) घटना के समय घर के बाहर खेल रही थी। उसने अपने कथन में कहा कि जब उसने अपने घर से चीखने की आवाज सुनी, तब वह वहाँ गई और अपनी माता को जली हुई अवस्था में पाया। उसने यह कथन नहीं किया कि उसकी माता ने उससे कहा था कि अपीलार्थी ने उसे आग लगाई थी। उसने यह भी नही कहा कि घटना के समय अपीलार्थी उनके घर में उपस्थित था। रामचन्द्र (अ.सा.-1) एवं रीना बाई (अ.सा.-2) से लोक अभियोजक द्वारा विस्तृत प्रतिपरीक्षण की गई, किन्तु उनकी प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त नहीं हुआ, जिसे अपीलार्थी के विरुद्ध दोषसिद्धि हेतु

अभियोगात्मक माना जा सके। अतः परिस्थितियाँ मौखिक मृत्युकालिक कथन जो पति एवं पुत्री के समक्ष की गई बताई गई है, सिद्ध नहीं हुई।

(8) अब हम सेवकराम साहू (अ.सा.-6) तथा दुर्गा बाई (अ.सा.-7) के साक्ष्य पर विचार करेंगे।

(9) सेवकराम (अ.सा.-6) ने अपने कथन में कहा कि अपीलार्थी उसे जानता था। वह मृतिका को भी जानता था किन्तु उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नही है। उसने मोहल्ले में सुना था कि मृतिका को जलने की चोटे आई थी। घटना के दिन उसने देखा कि अपीलार्थी मृतिका को उसके शरीर को चादर से ढककर अस्पताल की ओर ले जा रहा था। मृतिका कुछ कह रही थी किन्तु वह यह नहीं सुन सका कि वह क्या कह रही थी। उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा लोक अभियोजक द्वारा उसका प्रतिपरीक्षण किया गया। उसने अपने धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के कथन (प्रदर्श पी/8) के उन अंशों को पूर्णतः इंकार कर दिया, जो अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोगात्मक थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) दुर्गा बाई (अ.सा.-7) ने अपने कथन में कहा कि वह अपीलार्थी को जानती है। अपीलार्थी उसकी फल की दुकान पर आता-जाता था, इसलिए वह उसे पहचानती है। वह मृतिका को नही जानती और उसे घटना के बारे में भी कोई जानकारी नही है, यही उसका मुख्य परीक्षण है। उसे भी लोक अभियोजक द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया और उसका प्रतिपरीक्षण करने की अनुमति दी गई। प्रतिपरीक्षण में उसने स्वीकार किया कि उसने पुलिस के समक्ष कथन (प्रदर्श पी/19) दिया था तथा प्रदर्श पी/19 के उन अंशों को भी स्वीकार किया जिनमें उसने कहा था कि मृतिका चिल्ला रही थी कि उसे अपीलार्थी द्वारा जलाया गया है। बचाव पक्ष द्वारा की गई आगे की प्रतिपरीक्षण के कण्डिका-5 में उसने स्पष्ट शब्दों में स्वीकार किया कि यह कहना गलत है कि मृतिका कमला बाई ने कुछ बोला था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने सेवकराम साहू (अ.सा.-6) और दुर्गा बाई (अ.सा.-7) के अभिकथनों पर विश्वास किया है। ये गवाह पक्षद्रोही गवाह है। इन गवाहों के साक्ष्य से, हालांकि यह स्थापित हो गया था कि उन्होंने अपीलार्थी को मृतक को अस्पताल ले जाते हुए देखा था, लेकिन यह स्थापित नहीं हुआ कि उस समय मृतक चिल्ला रही थी कि अपीलार्थी ने उसे जलने की चोटें

पहुंचाई थीं। क्योंकि इस संबंध में सेवकराम साहू (अ.सा.-6) और दुर्गा बाई (अ.सा.-7) द्वारा कुछ भी बयान नहीं दिया गया था। दुर्गा बाई (अ.सा.-7) ने प्रतिपरीक्षण के कण्डिका-5 में स्वीकार किया कि यह कहना गलत है कि मृतक उस समय कुछ बोली थी।

(11) यद्यपि पक्षद्रोही गवाहों के साक्ष्य को पूरी तरह से अमान्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके साक्ष्य का वह हिस्सा विचार में लिया जा सकता है जो अभियोजन के मामले का समर्थन करता है, लेकिन वर्तमान मामले में यदि हम उनके साक्ष्य के उन हिस्सों पर विचार करें भी जो अभियोजन का समर्थन करते हैं, तो भी वे सभी उचित संदेहों से परे यह स्थापित नहीं करते कि मृतक अपीलार्थी का नाम लेकर चिल्ला रही थी कि उसे अपीलार्थी द्वारा आग के हवाले किया गया था। हमारी राय है कि उपरोक्त दोनों पक्षद्रोही गवाहों के साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि मृतक ने उपरोक्त तरीके से मौखिक मृत्युकालिक कथन दिया था, जब उन्हें अस्पताल ले जाया जा रहा था। उपरोक्त कारणों से इस संबंध में निर्णय और निष्कर्ष को स्थिर नहीं रखा जा सकता है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(12) पूर्वोक्त कारणों से अपील स्वीकार की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी को सुनाई गई सजा को और दोषसिद्धि और उस पर अधिरोपित दण्ड को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित किए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। यह बताया गया है कि अपीलार्थी जेल में है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो, तो उसे तत्काल रिहा किया जाए।

| | |
|---|---|
| **सही/-** | **सही/-** |
| **सनिल कुमार सिन्हा** | **राधे श्याम शर्मा** |
| **न्यायाधीश** | **न्यायाधीश** |

अस्वीकरण : हिंदी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।

**अनुवादकर्ता द्वारा – श्रीमती प्रभा शर्मा**